

~~Handwritten mark~~

की परिधि सूचना पत्र तलब किया जाकर
पञ्जाबली आग्रही दिनांक 21/6/2016 को
लोक अदालत कोर्ट कैंम्प भुधर में
अदालत सेवा केन्द्र पर पेश की। ~~Handwritten mark~~

21/6/2016

पञ्जाबली न्याय आपके द्वार अधिकांक 2016" के तहत
लोक अदालत कैंम्प ग्राम पंचायत-भुधर पर
पुस्तक हुई। उक्त पक्षकारों ने उपस्थित होकर
इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र एवं शर्जीनामा
उपपत्र मध्य मीना पर्व दिनांक 13/6/2016 प्रस्तुत
किया है कि उक्त अन्याय प्रकरण में उक्त
पक्षकारों के मध्य सुलह एवं शर्जीनामा
से गया है कि प्रतिवादी श्री कलशम पिता
काना मीना द्वारा ग्राम धापडावली की वर्तमान
जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या
8 में अपने नाम पर 97 काइगुस्त भूमि कुल
कीता-9 रकबा 1.07 हेक्टे. में से आ.नं.
462 में से 0.04 हेक्टे., आ.नं. 463 में से
0.0950 हेक्टे., आ.नं. 464 में से 0.07 हेक्टे.,
आ.नं. 467 में सम्पूर्ण 0.06 हेक्टे., आ.नं.
479 में सम्पूर्ण 0.06 हेक्टे., आ.नं. 506 में
से 0.06 हेक्टे., 712 में से 0.01 हेक्टे., आ.
नं. 716 में से 0.08 हेक्टे. एवं आ.नं.
721 में से 0.06 हेक्टे. कुल कीता 9 रकबा
0.5350 हेक्टे. भूमि पश्चिम दिशा की ओर
की वादीगण श्री धुला, भरा, सोमा पिता वागा

~~Handwritten mark~~

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

श्री धुला काँस्ट

विपक्षी श्री कलाराम

राजस्व-काँस्ट

पत्रावली संख्या 103

सन् 2006

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई

मीणा का देने की सहमति हुई है। रजिस्ट्री का समस्त खर्च कादीगव श्री धुला, भरा, सोमा पिता काणा श्रीगा वहन करेंगे। उक्त वादगुस्त भूमि का शेष आस्था हिस्सा 0.5350 हेक्टे. भूमि (पूर्व उत्तिवादी श्री कलाराम पिता काना मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में यथावत रहेगा। उक्त काँस्टाई के पश्चात् उभय पक्षकार एक-दूसरे के कब्जेकाश्त में कोई दिखलनाशी नहीं करेंगे। उक्त मौका पर्वा रिकार्ड 19.6.2016 इस राजीनामे का किफिनत डांग रहेगा। भए कि अब हम दोनों पक्षों के मध्य उक्त वादगुस्त भूमि बाबत कोई विवाद मौके पर शेष नहीं रहा है तथा हम दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः उक्त उनवान उखरण को इसी स्थान पर समाप्त कर दिया जावे।

इसने पत्रावली पर उपलब्ध हस्ताक्षरों तथा उभय पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से अपने हस्ताक्षरों/अंगुठा निशानी से निष्पादित उद्योग-पत्र व राजीनामा उपपत्र का अवलोकन किया तथा तमाम रिकार्ड 19.6.2016 के मौका पर्वा का अध्ययन किया तथा उपरोक्त नादीगव एवं उत्तिवादी को सुना। - मुँके उभय पक्षकारों

धुला

श्री

सोमा

कलाराम

कादीगव

शंकरलाल

(Handwritten signature)

द्वारा लोक अदालत की भावना से उचित दंड
अपने विवाद का सुलझा लिया है तथा अब
उन्के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहने से
इस प्रकरण को इसी स्टेज पर समाप्त कराना
चाहते हैं, अतः उभय पक्षकारों की सहमति
के आधार पर उनके द्वारा लोक अदालत
की भावना से उचित दंड निष्पादित शर्तीनामा
उपपत्र तथा दिनांक 19.6.2016 को पत्रकारी
भूखर द्वारा स्वरूप्य भूखर एवं वादीगण
उवं प्रतिवादी की उपस्थिति में तैयार किये
गये अंके पर्चे को रिकार्ड पर लिया जाता है
तथा अंशयहित में उक्त शर्तीनामा उपपत्र को
स्वीकार लिया जाकर प्रकरण में कार्यवाही इसी
स्तर पर समाप्त की जाती है।

प्रकरण/पञ्चावली फैलल शुमार दंडर
आम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर है।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

WSP/21.06.16
सहायक जज/उपपक्ष
अधिकारी, कलकत्ता